


27/11/24

आप पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी
वकील उपस्थित नहीं। प्रार्थी वकील का
न्यायालय में बार-बार आवाज दिलाई गई
फिर भी उपस्थित नहीं। प्रार्थी वकील में
अन्तिम आवाज साथ: 5:30 बजे दिलाई गई।
कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी वकील उपस्थित
नहीं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 RTI अधिनियम
द्वारा व अधिनियम के (1) में खारिज किया जाता है।
पत्रावली नकल से कर हो कर वास वकील
मूल वाद के साथ लेला है।


सहायक कलक्टर
अलवर